ई–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 43/19–20

केशव ठाकुर बनाम् नवीन साह वगै0

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदक केशव सिंह, पे0–लखन ठाकुर, सा0–दिग्घी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–दिग्घी नं0–441, जमाबंदी नं0–97, दाग नं0–724, रकवा– 00–02–02 धूर भूमि से विपक्षीगण नवीन साह व छोटे लाल साह, दोनों पे0–तारणी साह, सा0–दिग्घी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से बताया गया है कि प्रासंगिक भूमि सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत मोहन वोस्ता के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। प्रासंगिक दाग की भूमि का बंटवारा सभी वारिसानों के बीच पूर्व में कर लिया गया था, जिसके बाद से सभी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार हैं व खजाना जमा करते आ रहे हैं। विपक्षीगण दबंग प्रवृति के पूर्णतः बाहरी व्यक्ति हैं। विपक्षीगण जबरन प्रासंगिक भूमि कब्जा किये हुए हैं तथा दिवार निर्माण कर रहे हैं। आवेदक द्वारा विरोध करने पर विपक्षीगण द्वारा मारपीट की धमकी दी जाती है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि के पर्चा की छाया प्रति समर्पित करते हुए प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से बताया गया है कि विपक्षीगण को प्रासंगिक भूमि कन्हाई साह द्वार शपथ पत्र सं0–2835, दिनांक–14.03.2017 के माध्यम से प्राप्त है। शपथ पत्र के पूर्व से ही जमाबंदी रैयत लखन ठाकुर द्वारा विपक्षीगण को बसोबास करने हेतु प्रासंगिक भूमि दिया गया था। प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण का मकान निर्मित है, जिस पर वे 50 वर्षो से सपरिवार निवास कर रहे हैं। विपक्षीगण भूमिहीन है व मजदूरी करके अपना जीवन–यापन करते हैं। आवेदक जबरन विपक्षीगण के घर में घुसकर गाली–गलौज तथा मारपीट करते हैं। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि संबंधी शपथ पत्र सं0–2835, दिनांक–14.03.2017 की छाया प्रति, कुर्फानामा की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति समर्पित करते हुए आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा अपने पत्रांक–92/रा0, दिनांक–15.01.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि प्रासंगिक भूमि जमाबंदी रैयत मोहन वोस्ता वगै0 के नाम से सा0देह कहकर दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत के पोता हैं तथा विपक्षीगण का जमाबंदी रैयत के साथ कोई संबंध नहीं हैं। प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण कच्चा मकान, फुस/खपड़ा छावनी व ईंट का दिवाल, करकट इत्यादि से मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख में र... कागजात तथा अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रती... होता है कि विपक्षीगण का प्रासंगिक भूमि पर किसी भी प्रकार का मकान निर्मित नहीं है, विपक्षीगण द्वारा प्रासंगिक भूमि पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

29/03/22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

29/03/22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

13/6/22

Seen
13/06/22

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:14:26 +05:30
Location: 192.168.1.51